

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1834] No. 1834] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/ JYAISHTHA 01, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2029(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1363 (आ.), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया सिविल जिलों में, 340.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसे असम सरकार की अधिसूचना सं. एफआरडब्ल्यू.21/90/171 दिनांक 05.03.1999 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह क्षेत्र एक ही पारिस्थितिक इकाई है जो मूल रूप से उत्तर में ब्रह्मपुत्र एवं सियांग नदी, पूर्व में लोहित एवं देवंग, दक्षिण-पूर्व में अनंत नाला और दक्षिण में डांगोरी एवं डिब्रू नदी का बाढ़ का मैदान है;

2820 GI/2018 (1)

- **और,** यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदियों और विशेषकर ब्रह्मपुत्र नदी के जल-मार्ग द्वारा निर्मित एक अद्वितीय भू-आकृति विज्ञान संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि इंडो-जेनेटिक डॉल्फिन का महत्वपूर्ण पर्यावास है;
- और, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जैव- भौगोलिक दृष्टि से "उत्तरी पूर्वी भारत-ब्रहमपुत्र घाटी जैव- भौगोलिक प्रांत" (9ए) का प्रतिनिधित्व करता है। दो प्रमुख जैव विविधता स्थलों का अंतरण स्थल होने के कारण यहां वनस्पित और जीवजंतुओं की प्रचुरता है, जो विविध प्रकार के जीवजंतुओं के लिए सहायक है जो यहां की क्षेत्रीय, जलीय और वानस्पितक पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल हैं;
- और, यह राष्ट्रीय उद्यान आश्चर्यजनक रुप से समृद्ध वनस्पित का सहायक है जिनमें 28 वृक्ष प्रजातियां, 26 झाड़ी प्रजातियां, 2 परजीवी पौधों की प्रजातियां, 17 घास प्रजातियां, 16 जलीय पौधों की प्रजातियां, 3 दलदलीय पौधों की प्रजातियां, 4 पर्वतारोहियों और स्कैंडन्स की प्रजातियां, 5 बेंत की प्रजातियां, 13 ऑर्किड की प्रजातियां और 6 संकटापन्न औषधीय पौधों की प्रजातियां शामिल हैं:
- और, इस राष्ट्रीय उद्यान में अनेक पशु-पिक्षयों के पर्यावास हैं। यहां के मुख्य क्षेत्र में 10 ऑर्डर और 19 परिवारों से संबंधित 36 स्तनधारी प्रजातियां और 27 जेनरा अभिलिखित हैं, जिनमें से 12 अनुसूची-। में शामिल हैं। इस उद्यान में मौजूद मुख्य स्तनधारी प्रजातियों में से एक प्रजाति वन्य घोड़ों की है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कछुओं की 11 प्रजातियों, दो मॉनिटर छिपकलियों सिहत छिपकली की 9 प्रजातियों, उभयचरों की 18 प्रजातियों, मछिलयों की 104 प्रजातियों, सांपों की 23 विभिन्न प्रजातियों और तितिलयों की 104 प्रजातियों के अतिरिक्त जलचरों की लगभग 500 प्रजातियों के आश्रय स्थल हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पिक्षयों को भी आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पिक्षयों के लिए एक खाद्यान्न भूमि है;
- और, सर्दी के मौसम में सूख जाने वाले नदी तट के रेतीले भाग (चापोरीस) जलोढ़ घासभूमि के विकास में सहायक हैं जो न केवल अत्यधिक संकटापन्न बंगाल फ्लोरिकन के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं, बल्कि डिब्रू-डंगोरी हाथी कॉरिडोर में हाथियों के लिए प्रवासन मार्ग का और बाघों के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाने हेतु सुरक्षित मार्ग का भी काम करते है;
- और, डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी पाए जाते हैं। यह स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण देता है। अतः इस राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है, ताकि यहां की जैव-विविधता और इसके पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हो सके;
- **अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 658.251 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसकी सीमा 0.0 किलोमीटर (उद्यान सीमा के अत्यधिक निकट तेल और प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के कारण) से 8.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1 पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा —

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 658.251 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 0.0 किलोमीटर (उद्यान सीमा के अत्यधिक निकट तेल और प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के कारण) से 8.7 किलोमीटर तक विस्तारित है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध । में दिया गया है।
- (3) अधिकतम एवं न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा एवं विस्तार का मानचित्र इस अधिसुचना के **उपाबंध ।।** के रुप में संलग्न है।
- (4) अधिकतम एवं न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-उपयोग एवं भू-क्षेत्र का मानचित्र इस अधिसूचना में **उपाबंध I**II के रुप में संलग्न है|
- (5) अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं।

- (6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध ∨** के रूप में संलग्न हैं।
- (7) प्रयोक्ता अभिकरणों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों ओर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज एवं खुदाई के उपाय संबंधी दिशानिर्देश **उपाबंध V**I में दिए गए हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :—

- 1. राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनायी जाएगी।
- 3. आंचिलक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जायेगा,:
 - i. पर्यावरण विभाग;
 - ii. वन और वन्यजीव विभाग:
 - iii. कृषि और बागवानी विभाग ;
 - iv. भिम राजस्व और बंदोबस्त विभाग:
 - v. ग्रामीण विकास विभाग;
 - vi. शहरी विकास विभाग;
 - vii. नगरपालिका विभाग;
 - viii. पंचायती राज विभाग:
 - ix. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन विभाग;
 - x. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;
 - xi. राजस्व विभाग;
 - xii. लोक निर्माण विभाग:
 - xiii. असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- 4. जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- 5. आंचिलक महायोजना में वन-रिहत और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।
- 6. आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा।
- 7. इस योजना से संबंधित मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

- 8. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा तथा सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।
- 9. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- 10. अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निवर्हन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

1 भू-उपयोग:

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:—
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर उद्योग;
- (v) सुविधा भण्डार, गृह वास तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और
- (vi) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप:
- (ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (इ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलत नहीं होगा।
- (च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने तथा पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- 2. **प्राकृतिक जल स्रोत**—सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, निदयों/चैनलों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सिम्मिलित की जाएगी। इन क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।

3. पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:—
 - (i) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- 4. **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- 5. **मानव निर्मित विरासत स्थल** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- 6. **ध्विन प्रदूषण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।
- 7. **वायु प्रदूषण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- 8. **बहिस्नाव का निस्सारण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- 9. ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा —
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण- अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

- 10. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपिशष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- 11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- 12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 13. **ई–अपशिष्ट:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय –समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 14. **सड़क-यातायात**:—सड़क-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- 15. **वाहन जिनत प्रदूषण:**—वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।
- 16. **औद्योगिक ईकाइयां:**—(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण**:—पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमित नहीं होगी।
- (ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- **18.** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण			
(1)	(2)	(3)			
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप				
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।			
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।			
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।			
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।			
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
	ख.वि	नियमित क्रियाकलाप			
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।			
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।			
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:			

		 (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी जैसे कि:— (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;
		(iv) ग्रामीण उद्योग सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और
		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार- बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।

22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्चाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बिहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/ बिहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. ः	संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:--

(i)	आयुक्त, अपर असम ज़ोन, जोरहाट	-अध्यक्ष;
(ii)	उपायुक्त, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़	–सदस्य;
(iii)	असम पर्यटन विभाग के निदेशक का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	संभागीय वन अधिकारी, डिगबोई, डिब्रूगढ़ और डूमडुमा संभाग	–सदस्य;
(v)	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़	–सदस्य;
	जिले	
(vi)	जिला मत्स्य अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	–सदस्य;
(vii)	संभागीय अधिकारी, मृदा संरक्षण संभाग, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	–सदस्य;
(viii)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	–सदस्य;

(ix)	जिला कृषि अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	–सदस्य;
(x)	जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले	–सदस्य;
(xi)	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सड़क विभाग), तिनसुकिया और	–सदस्य;
	डिब्रूगढ़ जिले	
(xii)	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन संभाग), तिनसुकिया और	–सदस्य;
	डिब्रूगढ़ जिले	
(xiii)	प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठन	–सदस्य;
	का एक प्रतिनिधि जिसे असम सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	
(xiv)	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता (क्षेत्रीय कार्यालय), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिनसुकिया	–सदस्य;
	और डिब्रूगढ़ जिले	
(xv)	असम सरकार द्वारा नामित असम राज्य की प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से	–सदस्य;
	पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ	
(xvi)	संभागीय वन अधिकारी, तिनसुकिया वन्यजीव संभाग	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों. विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/07/2016-ईएसजेड-आरई] ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

त्रपातंश्र

डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दक्षिण:

यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 40' 33.108" पू और 27° 46' 44.406" उ) से आरंभ होता है जो कि धोला सदिया पुल के दक्षिणी अंत में स्थित है। इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु सं. 2 (95° 38' 57.929" पु और 27° 46' 42.022" उ) पर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 2 से सीमा पुनः जीपीएस बिंदु सं. 3 (95° 36' 34.383" पू और 27° 46' 7.551" उ) पर सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 3 से सीमा दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं. 4 (95° 36' 31.965" पू और 27° 45' 59.683" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 4 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 5 (95° 35' 55.120" पू और 27° 45' 32.586" उ) पर नाले के साथ जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 5 से सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 6 (95° 35' 48.587" पू और 27° 45' 22.675" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 6 से सीमा पुनः सड़क के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 7 (95° 30' 32.718" पू और 27° 44' 13.989" उ) पर मिलती है। बिंदु सं. 7 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 8 (95° 28' 30.416" पू और 27° 40' 17.721" उ) पर नदी के साथ जाती है। जीपीएस बिंदु सं. 8 से सीमा उत्तर की ओर सीधे जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 9 (95° 27' 8.423" पू और 27° 41' 19.355" उ) पर मिलती है जो कि डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 9 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 10 को पार करके डिब्रु साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 11 (95° 21' 39.151" पु और 27° 35' 43.758" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 11 से सीमा दक्षिण की ओर जाती है जीपीएस बिंदु सं. 12 (95° 21' 55.267" पू और 27° 35' 7.199" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 12 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा डिब्रू नदी (बांये तट) की 250 मीटर लम्बी मध्यवर्ती सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 13 (95° 22' 16.467" पू और 27° 34' 26.108" उ) पर मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 13 से पारिस्थितिकी संवदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु सं. 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 को पार करके काल्पनिक रेखा की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 30 (95° 22' 9.703" पू और 27° 34' 13.330" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 30 से यह सीमा डिब्रू नदी (दांये तट) की 250 मीटर लम्बी मध्यवर्ती सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 31 (95° 21' 46.005" पू और 27° 34' 51.579" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 31 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 32,33,34 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 35 (95° 17' 49.051" पु और 27° 34' 19.811" उ) से मिलती है।

पश्चिमः

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 35 (95° 17' 49.051" पू और 27° 34' 19.811" उ) से आरंभ होती है जो कि जीपीएस बिंदु सं. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 को पार करके काल्पनिक रेखा का अनुसरण करती है और जीपीएस बिंदु सं. 49 (95° 11' 37.010" पू और 27° 35' 48.411" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 49 से सीमा पुनः राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ जीपीएस बिंदु सं. 50,51,52,53,54,55,56 को पार करके जीपीएस बिंदु सं. 57 (95° 8' 20.617" पू और 27° 36' 3.285" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 57 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 58 और 59 को पार करके सीधे उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 60 (95° 8' 16.691" पू और 27° 41' 21.448" उ) से मिलती है।

उत्तर:

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 60 (95° 8' 16.691" पू और 27° 41' 21.448" उ) से आरंभ होती है और जीपीएस बिंदु सं. 61 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट की ओर जाती है तथा जीपीएस बिंदु सं. 62 (95° 12' 17.779" पू और 27° 42' 58.645" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 62 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 63, 64, 65 और 66 को पार करके काल्पिनक रेखा की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 67 (95° 25' 31.436" पू और 27° 46' 8.192" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 67 से सीमा पुनः जीपीएस बिंदु सं. 68,69 और 70 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं. 71 (95° 35' 38.772" पू और 27° 49' 46.825" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 71 से सीमा दिबांग नदी के बांये तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु


सं. 72 (95° 35' 30.856" पू और 27° 48' 28.508" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 72 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 73 को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं. 74 (95° 40' 33.920" पू और 27° 48' 54.974" उ) से मिलती है।

पूर्व:

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा जीपीएस बिंदु सं. 74 (95° 40' 33.920" पू और 27° 48' 54.974" उ) से आरंभ होती है जो कि धोला सदिया पुल (उत्तरी बिंदु) पर स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 74 से सीमा धोला सदिया पुल के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 1 (95° 40' 33.108" पू और 27° 46' 44.406" उ) से मिलती है जो कि धोला सदिया पुल का दक्षिणी छोर है।


डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा के अत्यधिक निकट वाले क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विस्तार 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.0 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक है।

उपाबंध-॥ अधिकतम एवं न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



उपाबंध-॥।

अधिकतम एवं न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-उपयोग और भू-क्षेत्र का मानचित्र:



उपाबंध IV

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले जीपीएस निर्देशांक:

जी पी एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	95° 36' 15.504" पू	27° 45′ 54.468" ਤ
2	95° 33' 25.205" पू 27° 45' 58.765" उ	
3	95° 31' 59.320" पू	27° 46' 49.727" ਤ
4	95° 30' 50.139" पू	27° 45' 34.330" ਤ
5	95° 29' 42.799" पू	27° 44' 49.907" उ
6	95° 28' 59.203" पू	27° 43' 15.283" ਤ
7	95° 27' 38.208" पू	27° 42' 24.917" उ
8	95° 27' 3.144" पू	27° 40' 47.259 " उ
9	95° 26' 29.345" पू	27° 39' 6.946 " उ
10	95° 25' 22.05 7" पू	27° 37' 54.839" ਤ
11	95° 23' 44.624" पू	27° 37' 2.968 " उ
12	95° 22' 11.754" पू	27° 36' 4.301" उ
13	95° 20' 57.056" पू	27° 35' 39.316" ਤ
14	95° 19' 59.859" पू	27° 35' 34.642" ਤ
15	95° 18' 16.091" पू	27° 35' 31.599" ਤ
16	95° 17' 8.046" पू	27° 34' 39.883" ਤ
17	95° 15' 58.104" पू	27° 34' 43.068" उ
18	95° 14' 24.427" पू	27° 35' 7.660 " उ
19	95° 13' 25.610" पू	27° 35' 25.577" उ
20	95° 12' 9.544" पू	27° 35' 30.250" ਤ
21	95° 10' 54.242" पू	27° 36' 24.439" ਤ
22	95° 10' 59.422" पू	27° 37' 7.211" उ
23	95° 9' 27.818" पू	27° 36' 25.624" उ
24	95° 8' 37.362" पू	27° 36' 30.047" ਤ
25	95° 11' 34.564" पू	27° 38' 40.144" उ
26	95° 13' 30.451" पू	27° 38′ 57.788" उ
27	95° 15' 13.123" पू	27° 39' 34.581" ਤ
28	95° 16' 27.214" पू	27° 40' 44.839" ਤ
29	95° 17' 51.883" पू	27° 41' 3.231" उ
30	95° 19' 19.235" पू	27° 42' 11.036" ਤ
31		
32	95° 22' 41.931" पू	27° 43' 36.062" ਤ

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	15
33	95° 24' 29.560" पू	27° 44' 0.065" ਤ
34	95° 25' 59.808" पू	27° 44' 59.112" उ
35	95° 27' 27.434" पू	27° 46' 3.982" ਤ
36	95° 28' 44.780" पू	27° 47' 21.348" उ
37	95° 30' 28.509" पू	27° 48' 1.842" ਤ
38	95° 32' 23.881" पू	27° 47' 48.657" उ
39	95° 34' 6.350" पू	27° 46′ 58.046" उ
40	95° 35' 48.725" पू	27° 46' 18.753" उ

डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले जीपीएस निर्देशांक:

जी पी एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	95° 40' 33.108" पू	27° 46' 44.406" ਤ
2	95° 38' 57.929" पू	27° 46′ 42.022" ਤ
3	95° 36' 34.383" पू	27° 46' 7.551" ਤ
4	95° 36' 31.965" पू	27° 45′ 59.683" ਤ
5	95° 35' 55.120" पू	27° 45' 32.586" ਤ
6	95° 35' 48.587" पू	27° 45′ 22.675" ਤ
7	95° 30' 32.718" पू	27° 44' 13.989" ਤ
8	95° 28' 30.416" पू	27° 40' 17.721" ਤ
9	95° 27' 8.423" पू	27° 41' 19.355" ਤ
10	95° 24' 39.146" पू	27° 37' 45.135" ਤ
11	95° 21' 39.151" पू	27° 35′ 43.758" ਤ
12	95° 21' 55.267" पू	27° 35' 7.199" उ
13	95° 22' 16.467" पू	27° 34' 26.108" उ
14	95° 23' 8.171" पू	27° 34' 41.124" उ
15	95° 23' 14.341" पू	27° 35' 3.833" उ
16	95° 23' 38.490" पू	27° 35' 3.206" उ
17	95° 23' 41.921" पू	27° 34' 41.351" उ
18	95° 24' 47.239" पू	27° 34' 43.619" ਤ
19	95° 26' 21.044" पू	27° 34' 17.058" ਤ
20	95° 25' 58.202" पू	27° 33' 46.479" ਤ
21	95° 24' 34.558" पू	27° 34' 23.018" ਤ
22	95° 24' 14.323" पू	27° 34' 21.766" ਤ
23	95° 24' 10.274" पू	27° 34' 13.642" ਤ
24	95° 23' 26.499" पू	27° 34' 27.797" उ

25	95° 22' 51.437" पू	27° 34' 26.071" ਤ
26	95° 22' 36.798 " पू	27° 33' 28.131" ਤ
27	95° 22' 24.922" पू	27° 33' 30.194" ਤ
28	95° 22' 21.395" पू	27° 33' 41.070" उ
29	95° 22' 20.199" पू	27° 34' 5.682" उ
30	95° 22' 9.703" पू	27° 34' 13.330" ਤ
31	95° 21' 46.005" पू	27° 34' 51.579" ਤ
32	95° 20' 54.156" पू	27° 34' 37.373" ਤ
33	95° 19' 56.681" पू	27° 34' 52.666" उ
34	95° 18' 55.229" पू	27° 34' 30.123" उ
35	95° 17' 49.051" पू	27° 34' 19.811" उ
36	95° 16' 56.307" पू	27° 34' 10.779" ਤ
37	95° 16' 2.639" पू	27° 34' 10.200" उ
38	95° 15' 28.079" पू	27° 34' 24.600" ਤ
39	95° 15' 37.799" पू	27° 34' 36.840" ਤ
40	95° 15' 6.804" पू	27° 34' 54.728" ਤ
41	95° 14' 51.719" पू	27° 34' 46.200" उ
42	95° 14' 14.033" पू	27° 34' 45.434" ਤ
43	95° 13' 43.826" पू	27° 34' 31.787" ਤ
44	95° 13' 43.705" पू	27° 34' 51.520" ਤ
45	95° 12' 42.119" पू	27° 35' 0.600" उ
46	95° 12' 15.839" पू	27° 35′ 22.200" उ
47	95° 11' 57.479" पू	27° 35' 2.400" उ
48	95° 11' 14.224" पू	27° 35' 20.694" ਤ
49	95° 11' 37.010" पू	27° 35′ 48.411" ਤ
50	95° 11' 27.041" पू	27° 36' 21.006" ਤ
51	95° 10' 39.175" पू	27° 36′ 14.019" ਤ
52	95° 10' 36.116" पू	27° 36′ 18.260" ਤ
53	95° 11' 22.174" पू	27° 37' 2.714" उ
54	95° 10' 40.707" पू	27° 37' 14.512" ਤ
55	95° 10' 19.539" पू	27° 36' 47.155" ਤ
56	95° 9' 18.871" पू	27° 36' 18.295" ਤ
57	95° 8' 20.617" पू	27° 36' 3.285" उ
58	95° 8' 18.246" पू	27° 37' 21.619" ਤ
59	95° 8' 14.476" पू	27° 39' 45.500" ਤ
60	95° 8' 16.691" पू	27° 41' 21.448" ਤ
·	•	•

61	95° 11' 14.237" पू	27° 41' 35.333" ਤ
62	95° 12' 17.779 " पू	27° 42' 58.645 " ਤ
63	95° 15' 37.938" पू	27° 43' 46.588" ਤ
64	95° 18' 14.131" पू	27° 44' 23.934" ਤ
65	95° 20' 50.349" पू	27° 45' 1.230" उ
66	95° 23' 26.593 " पू	27° 45' 38.474" ਤ
67	95° 25' 31.436 " पू	27° 46' 8.192" उ
68	95° 28' 12.221 " पू	27° 47' 39.423" ਤ
69	95° 30' 10.730 " पू	27° 49' 0.183" उ
70	95° 32' 43.433 " पू	27° 49' 13.018" ਤ
71	95° 35' 38.772 " पू	27° 49' 46.825" ਤ
72	95° 35' 30.856 " पू	27° 48' 28.508" ਤ
73	95° 38' 21.399" पू	27° 49' 4.281" उ
74	95° 40' 33.920 " पू	27° 48' 54.974" ਤ

उपाबंध V डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

新 .	ग्रामों के नाम	जी पी एस निर्देशांक	
सं.		अक्षांश	देशांतर
1	इरासूती गांव	27°35'27.4"उ	95°19'26.9"पू
2	कलीयापानी गांव	27°34'40.5"उ	95°19'30.5"पू
3	फैलाई गांव	27°45'20.3"ਤ	95°32'7.9"पू

उपाबंध VI

प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों ओर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज एवं खुदाई के उपाय संबंधी दिशा निर्देश

- 1. संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित पारिस्थितिकी-संवेदी जोन क्षेत्र इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती 10 किमी. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित भारतीय पक्षी क्षेत्र (आईबीए) में जैवविविधता प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के पर्यावरण और वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से कराया जाना है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थलीय और जलीय वनस्पतियों और जीवजन्तुओं को तथा गांगेय डॉल्फिन, एशियाई हाथी, बारहिं के, बाघ, तेंद्रए, एशियाई वन्य भैंस, पूर्वी दलदल हिरण आदि जैसी प्रमुख प्रजातियों को शामिल किया जाएगा।
- 2. राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के परिसरों को उनके चारों ओर 10 फीट ऊंचे बेरिकेड लगाकर कवर किया जाना है और चेन लिंक बाड़/विद्युत बाड़ एवं स्थानीय फलदार पेड़ और अन्य स्थानीय वन प्रजातियों का रोपण करके बेरिकेड से 7.5 मीटर की परिधि में 'सुरक्षा क्षेत्र' बनाया जाना है ताकि वन्यजीवों की क्षति को रोका जा सके।
- 3. अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या एफआरए, 2006 के तहत निर्धारित वन वासियों के अधिकारों की रक्षा की जानी है।

- 4. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या ऐसी अन्य प्रयोक्ता एजेन्सियों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास सभी तटवर्ती सुविधाओं के लिए तेल बिखराव जोखिम आकलन करना है और तेल बिखराव की दृष्टि से पर्याप्त रुप से खतरनाक पायी जाने वाली विद्यमान सुविधाओं में आवश्यक संशोधन करने या नई सुविधाओं की स्थापना करने के लिए योजना बनाना है।
- 5. पाइपलाइन सुविधाओं और दबाव सेंसर, रिमोट कंट्रोल्ड मोटराइज्ड वाल्व और पंप के लिए रिमोट शट ऑफ सुविधाएं जैसी सुविधाओं की स्थापना सहित अन्य सभी अपेक्षित मामलों में रिसाव का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा प्राप्ति प्रणाली (एससीएडीए) स्थापित की जानी है।
- 6. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा तेल बिखराव को रोकने सम्बन्धी आकस्मिक योजना और उसे बंद करने के लिए उपशमन उपायों संबंधी अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की एक प्रति भेजी जाती है।
- 7. अनुमोदित एसओपी के अनुसार, जैव-उपचार प्रौद्योगिकी/अन्य प्रणालियों के द्वारा स्थल को उसकी सामान्य स्थिति में लाने सिहत अचानक हुए तेल बिखराव के कारण आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए उचित उपाय अपनाए जाने हैं।
- 8. एसओपी में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार तेल बिखराव की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ऑपरेशन कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना है।
- 9. दुर्घटना/अन्य घटनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए खुदाई के दौरान ब्लो प्रिवेंशन पद्धति (बीओपी) उत्पादन सुविधाओं में वाल्वों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
- 10. स्वचालित बंदी कारीवाइयां आरंभ करने के लिए सभी सुविधाओं में आपातकालीन बंदी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 11. गैस की गति को न्यूनतम किया जाना चाहिए और गैस की अपरिहार्य लपटों के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतिया अपनायी जानी चाहिए ।
- 12. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और असम वन विनियमन, 1891 में यथा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाना है।
- 13. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना है।
- 14. सतही जल के संदूषण से बचने के लिए एहतियाती उपाय किये जाने हैं।
- 15. संवेदी क्षेत्रों में ध्विन स्तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित किया जाना है।
- 16. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था 24x7 आधार पर होनी चाहिए।
- 17. क्षेत्र के चारों ओर दैनिक ई एवं पी क्रियाकलापों के बारे में स्थानीय वनपालकों/डीएफओ के साथ नियमित बातचीत की जानी चाहिए।
- 18. अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थानीय निगरानी समिति के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- 19. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी सम्पूर्ण व्यय का निवर्हन ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)/ओएनजीसी या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया जाना है।

उपाबंध VII

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2029(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1363 (E), dated 8th April, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public:

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Dibru-Saikhowa National Park located at Dibrugarh and Tinsukia Civil Districts, Assam is spread over an area of 340.0 Square kilometers and notified vide Government of Assam Notification No. FRW.21/90/171 dated 05.03.1999 as a National Park. The area is a single ecological unit which is basically a flood plain of the River Brahmaputra and Siang in the North, Lohit and Debang in the East, the Ananta Nala to the South-East and the Dangori and Dibru River in the South:

AND WHEREAS, the National Park represents a unique geo-morphological structure created by the river Brahmaputra and its tributaries, and the water channels, especially the Brahmaputra, forming an important habitat for the Indo-Genetic Dolphins;

AND WHEREAS, biogeographically, the Dibru-Saikhowa National park represents the "North Eastern India-Brahmaputra Velly Bio-geographical Province" (9A), having rich in flora and fauna being the transition zone of two major biodiversity hot spots, which supports diverse fauna well adopted to life in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems;

And Whereas, the National Park supports astonishingly rich flora including 28 tree species, 26 species of shrubs, 2 species of parasitic plants, 17 species of grasses, 16 species of aquatic plants, 3 species of marshy plants, 4 species of climbers and scandens, 5 species of canes, 13 species of orchids, and 6 threatened medicinal plant species;

And Whereas, the National Park is a habitat for many animals and birds with a total of 36 species of mammals belonging to 10 orders and 19 families and 27 genera are recorded in the core, out of which 12 belonged to Schedule-I. Feral horses are one of the prime mammal species available in the park. The National Park supports 11 species of turtles, 9 species of lizard including two species of monitor Lizards, 18 species of amphibian, 104 species of fish, 23 different species of snakes and 104 species of butterflies besides having a huge number, about 500 species, of avifauna. The area also attracts Migratory birds and is a feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds;

AND WHEREAS, winter dried up river beds as well as the river sandbars (Chapories) serve for the development of Alluvial grassland which are not only an excellent habitat for the critically endangered Bengal Florican, but also serve as migration route for the elephants in the Dibru-Dangori Elephant Corridor, and provide safe passage to tigers to Arunachal Pradesh state;

AND WHEREAS, the Dibru-Saikhowa National Park is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the National Park from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 658.251 Sq. Km with an extent varying from 0.0 Km (being presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the Park boundary) to 8.7 Km from the boundary of the Dibru-Saikhowa National Park in the State of Assam as the Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone:-

- (1) The area of Eco-Sensitive Zone is 658.251 Sq km. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (being presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the Park boundary) to 8.7 Km from the boundary of the National Park.
- (2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure I**.
- (3) Map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure II**.
- (4) Land use and land cover map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure III**.
- (5) The coordinates of the Dibru-Saikhowa National Park and its Eco-Sensitive Zone with its latitudes and longitudes, appended as **Annexure IV**.
- (6) The list of villages falling within Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure V**.
- (7) Measures for Safe Oil and Natural Gas Exploration and Drilling in and around ESZ-Guidelines for User Agencies as **Annexure VI.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone:-

- 1. The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- 2. The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- 3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:
 - i. Environment Department;
 - ii. Forest and Wildlife Department;
 - iii. Agriculture & Horticulture Department;
 - iv. Land Revenue and Settlement Department;
 - v. Rural Development Department;
 - vi. Urban development Department;

- vii. Municipal Department;
- viii. Panchayati Raj Department;
- ix. Tourism including Eco-tourism Department;
- x. Irrigation and Flood Control Department;
- xi. Revenue Department;
- xii. Public Works Department;
- xiii. Assam State Pollution Control Board.
- 4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- 5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- 6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- 7. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- 8. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 9. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- 10. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. Measures to be taken by State Government:-

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely:

1. Landuse:

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries;
 - (v) Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (vi) Promoted activities and activities given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

2. Natural water bodies:

The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

3. Tourism/ Eco-tourism:

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the National park or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the National park till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- **4. Natural Heritage:** All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- **5. Man-made heritage sites:** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.
- **6. Noise pollution:** Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and amendments thereto.
- 7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- **8. Discharge of effluents:** Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- 9. Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the relevant rules notified by the state Government;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- 10. Bio-medical waste: Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- 11. Plastic Waste Management: The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- 12. Construction and Demolition Waste Management: The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- 13. E-waste Management: The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- **14. Vehicular traffic:** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- **15. Vehicular Pollution:** The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units:

- (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes:

The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- 18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description	
(1)	(2)	(3)	
	A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.	
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.	
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted.	
	causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.	
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.	
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
		B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.	
		(b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism / Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.	
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies .	Regulated under applicable laws.	
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted	

		within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:	
		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertak construction in their land for their use including the activities listed is sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:	
		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction new roads;	
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;	
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;	
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and	
		(v) Promoted activities listed in this Notification.	
		(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.	
		(d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.	
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.	
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competer authority in the State Government.	
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.	
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).		
15.	Erection of electrical and	Regulated under applicable law.	
	communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Underground cabling may be promoted.	
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.	
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.		
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.	
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.	

26	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3		
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.	
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.	
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.	
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.	
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropri authority.	
25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zon However, based on specific requirement, it shall be regulated und applicable laws.	
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.	
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.	
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.	
		C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.	
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.	
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.	
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.	
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.	
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.	
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.	
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.	
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.	
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.	

5. **Monitoring Committee:-**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Ecosensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Commissioner, Upper Assam Zone, Jorhat	- Chairman
(ii)	Deputy Commissioner, Tinsukia and Dibrugarh	- Member
(iii)	Representative of the Director, Assam Tourism Department	- Member
(iv)	Divisional Forest Officer, Digboi, Dibrugarh & Doomdooma Divisions	- Member
(v)	Project Director District Rural Development Agency, Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(vi)	District Fishery Officer, Tinsukia and Dibrugarh Districts	- Member
(vii)	Divisional Officer, Soil Conservation Division, Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(viii)	General Manager, District Industries Centre, Tinsukia And Dibrugarh Districts	-Member
(ix)	District Agriculture Officer, Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(x)	District Animal Husbandry & Veterinary Officer, Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(xi)	Executive Engineer, Public Works Department (Road Division), Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(xii)	Executive Engineer, Public Works Department (Building Division), Tinsukia And Dibrugarh Districts	- Member
(xiii)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Assam	- Member
(xiv)	Senior Environment Engineer (Regional Office), Pollution Control Board, Tinsukia and Dibrugarh Districts	- Member
(xv)	One expert in Ecology from reputed Institution/University Of Assam to be nominated by the Government of Assam	- Member
(xvi)	Divisional Forest Officer, Tinsukia Wildlife Division	-Member Secretary

6. Terms of Reference:-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work incharge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure VII.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/07/2016-ESZ-RE] LALIT KAPUR, Scientist-G

Annexure I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone of Dibru-Saikhowa National Park, Assam

The Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No. 1 (95° 40' 33.108" E & 27° 46' 44.406" N) which is located at the southern end of the Dhola Sadiya Bridge. From this point the ESZ boundary runs in the westward direction along the Southern bank of the river Brahmaputra up to the GPS Point No. 2 (95° 38' 57.929" E & 27° 46' 42.022" N). From GPS Point No. 2 the boundary again runs westward direction along the road up to the GPS Point No.3 (95° 36' 34.383" E & 27° 46' 7.551" N). From GPS Point No. 3 the boundary runs towards south and meets GPS Point No. 4(95° 36' 31.965" E & 27° 45' 59.683" N). From GPS Point No.4 the boundary runs along the Nala up-to the GPS Point No.5 (95° 35' 55.120" E & 27° 45' 32.586" N). From GPS Point No.5 the boundary runs towards south along the road and meet GPS Point No.6 (95° 35' 48.587" E & 27° 45' 22.675" N). From GPS Point No.6 again the boundary runs in westerly direction along the road till it meets the GPS Point No.7 (95° 30' 32.718" E & 27° 44' 13.989" N). From GPS Point No.7 the boundary runs along the river upto the GPS Point No.8 (95° 28' 30.416" E & 27° 40' 17.721" N). From GPS Point No. 8 the boundary runs straight towards north and meets the GPS Point No.9 (95° 27' 8.423" E & 27° 41' 19.355" N) which is located at the Dibru Saikhuwa National Park boundary. From GPS Point No. 9 the boundary runs along the Dibru Saikhuwa National Park boundary crossing the GPS Point No.10, and meets the GPS Point No.11 (95° 21' 39.151" E & 27° 35' 43.758" N). From GPS Point No. 11 the boundary runs towards south and meets the GPS Point No.12 (95° 21' 55.267" E & 27° 35' 7.199" N). From GPS Point No.12 the ESZ boundary runs along the 250 meter buffer boundary of Dibru river (left bank) and meets the GPS Point No. 13 (95° 22' 16.467" E & 27° 34' 26.108" N). From GPS Point No. 13 the ESZ boundary follows an imaginary line crossing the GPS point No.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 and meets the GPS Point No 30 (95° 22' 9.703" E & 27° 34' 13.330" N). From GPS Point No.30 the boundary runs along the 250 meter buffer boundary of Dibru River (right bank) and meets the GPS Point No.31(95° 21' 46.005" E & 27° 34' 51.579" N). From GPS Point No.31 the boundary runs along the southern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No.32,33,34 and meet the GPS point No.35 (95° 17' 49.051" E & 27° 34' 19.811" N).

West:

The western boundary of the Dibru-Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.35 (95° 17' 49.051" E & 27° 34' 19.811" N) which follows an imaginary line crossing the GPS Point No. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 and meets the GPS Point No.49 (95° 11' 37.010" E & 27° 35' 48.411" N). From GPS Point No. 49 the boundary again runs along the National Park boundary crossing the GPS Point No.50,51,52,53,54,55,56 till it meets the GPS Point No. 57 (95° 8' 20.617" E & 27° 36' 3.285" N). From GPS Point No. 57 the boundary runs straight towards north crossing GPS Point No.58 and 59 till it meets the GPS Point No.60 (95° 8' 16.691" E & 27° 41' 21.448" N).

North:

The Northern boundary of the Dibru-Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.60 (95° 8' 16.691" E & 27° 41' 21.448" N) which follow the northern bank of river Brahmaputra crossing the GPS Point No. 61 till it meets the GPS Point No.62 (95° 12' 17.779" E & 27° 42' 58.645" N). From GPS Point No. 62 the boundary follows an imaginary line crossing the GPS Point No.63, 64, 65 and 66 till it meets the GPS Point No.67 (95° 25' 31.436" E & 27° 46' 8.192" N). From GPS point No. 67 the boundary again runs along the northern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No. 68,69 and 70 till it meets the GPS point No.71(95° 35' 38.772" E & 27° 49' 46.825" N). From GPS Point No. 71 the boundary runs towards south along the left bank of river Dibang till it meets the GPS Point No. 72(95° 35' 30.856" E & 27° 48' 28.508" N). From GPS Point No.72 the boundary runs along the northern bank of the river Brahmaputra crossing the GPS Point No.73 till it meets the GPS Point No.74 (95° 40' 33.920" E & 27° 48' 54.974" N).


East:

The Eastern boundary of the Dibru Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone starts from GPS Point No.74 (95° 40' 33.920" E & 27° 48' 54.974" N) which is located at Dhola Sadiya Bridge (Northern Point). From GPS Point No.74 the boundary runs towards south along the Dhola Sadiya Bridge and meet the GPS Point No.1 (95° 40' 33.108" E & 27° 46' 44.406" N) which is the southern point of the said bridge.

Being the presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the Southern boundary of Dibru Saikhuwa National Park Eco-Sensitive Zone, a $0.0~\rm km$ ESZ extent is proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from $0.0~\rm km$ to $8.7~\rm km$.


Annexure II

Map of Eco-Sensitive Zone boundary of Dibru-Saikhowa National Park together with its latitudes and longitude of extremes and extent:



Annexure III

Land use and land cover map showing the Dibru-Saikhowa National Park and Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent:



Annexure IV

GPS coordinates showing prominent points of Dibru-Saikhowa National Park:

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	95° 36' 15.504" E	27° 45′ 54.468″ N
2	95° 33' 25.205" E	27° 45′ 58.765" N
3	95° 31' 59.320" E	27° 46' 49.727" N
4	95° 30' 50.139" E	27° 45′ 34.330" N
5	95° 29' 42.799" E	27° 44' 49.907" N
6	95° 28' 59.203" E	27° 43' 15.283" N
7	95° 27' 38.208" E	27° 42' 24.917" N
8	95° 27' 3.144" E	27° 40' 47.259" N
9	95° 26' 29.345" E	27° 39' 6.946" N
10	95° 25' 22.057" E	27° 37' 54.839" N
11	95° 23' 44.624" E	27° 37' 2.968" N
12	95° 22' 11.754" E	27° 36' 4.301" N
13	95° 20' 57.056" E	27° 35' 39.316" N
14	95° 19' 59.859" E	27° 35' 34.642" N
15	95° 18' 16.091" E	27° 35' 31.599" N
16	95° 17' 8.046" E	27° 34' 39.883" N
17	95° 15' 58.104" E	27° 34' 43.068" N
18	95° 14' 24.427" E	27° 35' 7.660" N
19	95° 13' 25.610" E	27° 35' 25.577" N
20	95° 12' 9.544" E	27° 35' 30.250" N
21	95° 10' 54.242" E	27° 36' 24.439" N
22	95° 10' 59.422" E	27° 37' 7.211" N
23	95° 9' 27.818" E	27° 36' 25.624" N
24	95° 8' 37.362" E	27° 36' 30.047" N
25	95° 11' 34.564" E	27° 38' 40.144" N
26	95° 13' 30.451" E	27° 38' 57.788" N
27	95° 15' 13.123" E	27° 39' 34.581" N
28	95° 16' 27.214" E	27° 40' 44.839" N
29	95° 17' 51.883" E	27° 41' 3.231" N
30	95° 19' 19.235" E	27° 42' 11.036" N
31	95° 21' 9.471" E	27° 42' 33.319" N
32	95° 22' 41.931" E	27° 43' 36.062" N
33	95° 24' 29.560" E	27° 44' 0.065" N
34	95° 25' 59.808" E	27° 44' 59.112" N
35	95° 27' 27.434" E	27° 46' 3.982" N
36	95° 28' 44.780" E	27° 47' 21.348" N
37	95° 30' 28.509" E	27° 48' 1.842" N
38	95° 32' 23.881" E	27° 47' 48.657" N
39	95° 34' 6.350" E	27° 46' 58.046" N
40	95° 35' 48.725" E	27° 46′ 18.753" N

GPS coordinates showing prominent points of the Eco-Sensitive Zone boundary of Dibru-Saikhowa National Park:

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	95° 40' 33.108" E	27° 46' 44.406" N
2	95° 38' 57.929" E	27° 46' 42.022" N
3	95° 36' 34.383" E	27° 46' 7.551" N
4	95° 36' 31.965" E	27° 45' 59.683" N
5	95° 35' 55.120" E	27° 45' 32.586" N
6	95° 35' 48.587" E	27° 45' 22.675" N
7	95° 30′ 32.718″ E	27° 44' 13.989" N
8	95° 28' 30.416" E	27° 40' 17.721" N
9	95° 27' 8.423" E	27° 41' 19.355" N
10	95° 24' 39.146" E	27° 37' 45.135" N
11	95° 21' 39.151" E	27° 35' 43.758" N
12	95° 21' 55.267" E	27° 35' 7.199" N
13	95° 22' 16.467" E	27° 34' 26.108" N
14	95° 23' 8.171" E	27° 34' 41.124" N
15	95° 23' 14.341" E	27° 35' 3.833" N
16	95° 23' 38.490" E	27° 35' 3.206" N
17	95° 23' 41.921" E	27° 34' 41.351" N
18	95° 24' 47.239" E	27° 34' 43.619" N
19	95° 26' 21.044" E	27° 34' 17.058" N
20	95° 25' 58.202" E	27° 33' 46.479" N
21	95° 24' 34.558" E	27° 34' 23.018" N
22	95° 24' 14.323" E	27° 34' 21.766" N
23	95° 24' 10.274" E	27° 34' 13.642" N
24	95° 23' 26.499" E	27° 34' 27.797" N
25	95° 22' 51.437" E	27° 34' 26.071" N
26	95° 22' 36.798" E	27° 33' 28.131" N
27	95° 22' 24.922" E	27° 33' 30.194" N
28	95° 22' 21.395" E	27° 33' 41.070" N
29	95° 22' 20.199" E	27° 34' 5.682" N
30	95° 22' 9.703" E	27° 34' 13.330" N
31	95° 21' 46.005" E	27° 34' 51.579" N
32	95° 20' 54.156" E	27° 34' 37.373" N
33	95° 19' 56.681" E	27° 34' 52.666" N
34	95° 18' 55.229" E	27° 34' 30.123" N
35	95° 17' 49.051" E	27° 34' 19.811" N
36	95° 16' 56.307" E	27° 34' 10.779" N
37	95° 16' 2.639" E	27° 34' 10.200" N
38	95° 15' 28.079" E	27° 34' 24.600" N
39	95° 15' 37.799" E	27° 34' 36.840" N
40	95° 15' 6.804" E	27° 34' 54.728" N
41	95° 14' 51.719" E	27° 34' 46.200" N
42	95° 14' 14.033" E	27° 34' 45.434" N
43	95° 13' 43.826" E	27° 34' 31.787" N

गग II−खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	
44	95° 13' 43.705" E	27° 34' 51.520" N
45	95° 12' 42.119" E	27° 35' 0.600" N
46	95° 12' 15.839" E	27° 35' 22.200" N
47	95° 11' 57.479" E	27° 35' 2.400" N
48	95° 11' 14.224" E	27° 35' 20.694" N
49	95° 11' 37.010" E	27° 35′ 48.411″ N
50	95° 11' 27.041" E	27° 36' 21.006" N
51	95° 10' 39.175" E	27° 36′ 14.019″ N
52	95° 10' 36.116" E	27° 36′ 18.260″ N
53	95° 11' 22.174" E	27° 37' 2.714" N
54	95° 10' 40.707" E	27° 37' 14.512" N
55	95° 10' 19.539" E	27° 36' 47.155" N
56	95° 9' 18.871" E	27° 36' 18.295" N
57	95° 8' 20.617" E	27° 36' 3.285" N
58	95° 8' 18.246" E	27° 37' 21.619" N
59	95° 8' 14.476" E	27° 39' 45.500" N
60	95° 8' 16.691" E	27° 41' 21.448" N
61	95° 11' 14.237" E	27° 41' 35.333" N
62	95° 12' 17.779" E	27° 42' 58.645" N
63	95° 15' 37.938" E	27° 43' 46.588" N
64	95° 18' 14.131" E	27° 44' 23.934" N
65	95° 20' 50.349" E	27° 45' 1.230" N
66	95° 23' 26.593" E	27° 45' 38.474" N
67	95° 25' 31.436" E	27° 46' 8.192" N
68	95° 28' 12.221" E	27° 47' 39.423" N
69	95° 30' 10.730" E	27° 49' 0.183" N
70	95° 32' 43.433" E	27° 49' 13.018" N
71	95° 35' 38.772" E	27° 49' 46.825" N
72	95° 35' 30.856" E	27° 48' 28.508" N
73	95° 38' 21.399" E	27° 49' 4.281" N
74	95° 40' 33.920" E	27° 48' 54.974" N

Annexure V LIST OF VILLAGES IN THE DIBRU SAIKHOWA NATIONAL PARK ECO-SENSITIVE ZONE

Sl.	Name of Villages	GPS Co-ordinates	
No.		Latitude	Longitude
1	Erasuti Gaon	27°35'27.4"N	95°19'26.9"E
2	Kaliapani Gaon	27°34'40.5"N	95°19'30.5"E
3	Felai Gaon	27°45'20.3"N	95°32'7.9"E

ANNEXURE-VI

Measures for Safe Oil and Natural Gas Exploration and Drilling in and around ESZ-Guidelines for User Agencies

- 1. Biodiversity Impact Assessment study to be conducted around the Protected Area, the notified Eco-Senstitive Zone area, and any area falling in Indo-Burma Biodiversity Hotspot and Notified Indian Bird Area (IBA) in the 10 km visinity of the Protected Area. The study has to be undertaken through agencies of repute to safe guard the environment and the wildlife habitats around the Protected Area, covering important flora and fauna, terrestrial as well as aquatic and also covering flagship species such as Gangetic Dolphin, Asiatic Elephant, Rhino, Tiger, Leopard, Asiatic Wild Buffalo, Eastern Swamp Deer, etc.
- 2. Operating Well plinths in the vicinity of the National Park and Wildlife Sanctuaries are to be covered with 10 ft high barricade around them and 'Safety Zone' to be created at radius of 7.5 meters from the barricade by providing Chain Link Fencing/ Power fencing and indigenous fruit trees and other local forest species to be planted in the said area, in order to prevent injuries to wildlife.
- 3. Rights of forest dwellers to be protected as prescribed under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or FRA, 2006.
- 4. Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies have to conduct Oil Spill Risk Assessment for all onshore facilities around the National Park and Wildlife Sanctuary and plan for necessary modification of existing facilities or installation of new facilities which are found to be potentially hazard to Oil spills.
- 5. Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) to be installed for leak detection of the Pipeline facilities and all other required cases including installation of facilities like pressure sensors, Remote Controlled Motorised valves and Remote Shut Off facilities for pumps etc.
- 6. Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies to submit a copy of approved Standard Operating Procedure (SOP) for restricting Oil Spillage Contingency plan and mitigation measures for arrest the same.
- 7. Appropriate measures to be adopted to restrict impacts on surroundings due to accidental Oil Spillages including restoration of site to its normalcy with Bio-remediation technology/others, as per approved SOP.
- 8. Operation personnel are to be trained adequately for effective handling of Oil Spill incidents as per guidelines specified in SOP.
- 9. Erection of Blow Prevention System (BOP) during drilling phase and valves in Production facilities to be ensured in order to avoid environmental damages due to accident/ other incidents.
- 10. An emergency shutdown system should be in place in all facilities to initiate automatic shutdown actions.
- 11. Gas flaring has to be minimized and best international practices to be adopted for flaring of gases which are un-avoidable.
- 12. Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies have to comply with all stipulated conditions as framed under Environment Impact Assessment Notification, 2006, Forest (Conservation) Act,1980, Wildlife (Protection) Act,1972 and the Assam Forest Regulation, 1891.
- 13. Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies have to strictly comply with the conditions stipulated in Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- 14. Precautionary measures to be taken to avoid contamination of surface water.
- 15. Noise levels for the sensitive areas to be restricted to limit as prescribed by the State Pollution Control Board.
- 16. Fire Fighting arrangement are to be kept standby on 24x7 basis to meet the eventualities in case so arises.
- 17. Regular interaction to be established with local Rangers/ DFOs for day to day E&P activities around the area.
- 18. The directions of the local Monitoring Committee of the notified Eco-Sensitive Zone shall be adhered to.
- 19. All expenses in the implementation of these Guidelines to be borne by the Oil India Limited (OIL)/ ONGC or other such user agencies.

Annexure VII

Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-

- 1. Number and date of Meetings:
- 2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
- 5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
- 6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
- 8. Any other matter of importance: